107

संख्या :308/IV(2)-श0वि0-2015-14(सा0)14

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक 16 मार्च, 2015

विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगरपालिका परिषद, पिथौरागढ़ के अन्तर्गत आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों/नालियों के पुर्ननिर्माण हेतु द्वितीय किस्त की धनराशि की की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 138/IV(2)-2014-14(सा0)14टी0सी0, दिनांक 28.02.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगरपालिका परिषद, पिथौरागढ़ को नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गों पर सी0सी0 इन्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने एवं नाले पुर्ननिर्माण कार्य हेतु ₹671.94 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में ₹100.00 लाख (₹एक करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, पिथौरागढ़ द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.02.2015 द्वारा सम्पूर्ण धनराशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि रू. 571.94 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरपालिका परिषद, पिथौरागढ़ को प्रश्नगत निर्माण कार्यों हेतु द्वितीय किस्त के रूप में **₹200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

I. उक्त धनराशि **₹200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगरपालिका परिषद, पिथौरागढ़ को को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
II. निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
III. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
IV. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।
V. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
VI. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
VII. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
VIII. पूर्व निर्गत शासनादेश संख्याः 138/दिनांक 28.02.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

..2/-..

IX. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047 / XIV-219 / 2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

X. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XI. धनराशि का दिनांक 31–3–2015 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13** के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत– 191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 318/XXVII(1)/2014, दिनांक 18.03.2014 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप जारी किये जा रहा है।

5– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–S.1503,1302-6 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या–308 (1)/IV(2)-श0वि0–2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
6. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, पिथौरागढ़।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
उप सचिव।